फर्द अहकाम

22

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

पक्षी राजस्व BDO कुम्भलगढ़ विपक्षी वासुदेव भट्ट

किस्म मुकदमा ग्रुप6 PDR पत्रावली संख्या 14/2019 पद

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	27.07.2021 पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण को राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना क्रमांकः–9(4) राज–6 /2005/20 दिनांक 08.08.2005 से प्रसारित अधिसूचना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उपधारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 10 तथा राजस्थान भू–राजस्व (भुगतान, जमा, वापसी एवं वसूली) नियम 1958 के अधीन जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन तथा उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, जिला परिषदों में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर, राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत बकाया राशि वसूली हेतु किया जावेगा। अतः उक्त प्रकरण को राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना क्रमांकः–9(4)राज–6 / 2005 /20 दिनांक 08.08.2005 से प्रसारित निर्देश की अनुपालना में वसूली की कार्यवाही किये जाने का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् राजसमन्द का होने से मूल प्रकरण को एतद्द्वारा स्थानान्तरण किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर राजसमन्द	